न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 20/2025 शस्त्र अधिनियम्
GCMS No. 2025/167

श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भानीसिंह निवासी बछरारा तहसील रतनगढ़ जिला चूरू।

———अपीलान्ट

——बनाम——

स्टेट ऑफ राजस्थान

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री सुरेन्द्र सिंह अपीलांट स्वयं
श्री गजेन्द्र सिंह अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 28.08.2025

1 यह अपील शस्त्र अधिनियम 1959 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 13.05.2025 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2 अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता श्री भानी सिंह के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 123/91(2293/DM/P/77M) जारी है, जिसमें एक 12 बोर एसबीबीएलसी—12/3853. शॉटगन दर्ज है। उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अनुज्ञापत्रधारी ने वृद्ध प्रकरण में अपीलान्ट के नाम दर्ज करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चूरू के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपूर्ण आवेदन बताते हुए दिनांक 06.10.2020 को निरस्त कर दिया। तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.05.2025 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3 प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी ।

4 अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि अपीलाधीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र अपीलांट के पिता भानी सिंह के नाम से जारी है, जिनकी उम्र 80 वर्ष के हो चुकी है। अनुज्ञापत्रधारी अपने उक्त लाइसेंस को अपने पुत्र अपीलांट के नाम उतराधिकार नीति के तहत दर्ज़ करवाना चाहते है। अपीलांट के पिता एक सेवानिवृत सैनिक है। अपीलांट व उसके पिता पिछले पांच सालों से अधीनस्थ न्यायालय के चक्कर लगा रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के आवेदन को अपूर्ण बताकर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपलांट को बिना सुने केवल क्षेत्राधिकार को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो उचित नहीं है। अपील धारा 5 कानूनी मियाद के अंतर्गत अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील मियाद में शुमार की जांकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे ।

5 विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थं न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चूरू का अपीलाधीन आदेश नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर पारित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट का आवेदन पत्र अपूर्ण पेश हुआ था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने सही निरस्त किया। उक्त आवेदन की अपीलांट द्वारा पुनः अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपील का क्षेत्राधिकार न होने के कारण खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त दोनों आदेश नियमानुसार सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6 हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है। मियाद अधिनियम की धारा 5 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चूरू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2025 अपीलांट को सुनवाई समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2024 निरस्त किया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है।

7 तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर